संख्या– /XVIII(II)/2014–18(32)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 मई, 2014

विषयः–मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजकता के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड द्वाराहाट के चरी–रतखाल ग्रामों की संयोजकता हेतु 30 मी0 स्टील गर्डर पुल के निर्माण हेतु कुल 0.032 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–8116/ग्यारह–23/2012–13 दि0–16.09.2013 एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0–6033/रा0प0–013 दि0–8.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम चरी, पटवारी क्षेत्र दूनागिरी, तहसील द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा के गैर ज0वि0 खतौनी खाता सं0–7/37 की श्रेणी 9(3)ङ बंजर काबिल आबाद के पैमाइशी खेत सं0–385 मध्ये 0.004 है0 एवं खतौनी खाता सं0–8/40 की श्रेणी 10(1) गगास नदी, खेत सं0–394 मध्ये 0.012 है0 इस प्रकार कुल 0.016 है0 एवं ग्राम रतखाल पटवारी क्षेत्र दूनागिरी, तहसील द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा के गैर ज0वि0 ख0खा0 सं0–5/38 की श्रेणी 9(3)ङ बंजर काबिल आबाद के पैमाइशी खेत सं0–551 मध्ये 0.004 है0 एवं खतौनी खाता सं0–7/40 की श्रेणी 10(1) गगास नदी, खेत सं0–552 मध्ये 0.012 है0 इस प्रकार कुल 0.016 है0 अर्थात उपरोक्त दोनो राजस्व ग्रामों की भूमि को सम्मिलित करते हुए उक्त प्रयोजन हेतु कुल 0.032 है0 भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 के प्राविधानों के अधीन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। 2

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–1 से 9 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या– 321 /समदिनांकित/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।